ARBITRATION LAW

Arbitration definition source kind scope and difference to court

AUGUST 19, 2020

SANJEEV KUMAR NIMESH
Department of law, monad university

Programme- LL.B. 3rd sem

Course – Alternate Means of Settlement of Dispute

Course Code- LLB-212

Sem- III

Year- 2020-21

Unit- 1 (Part-2)

Topic- Arbitration Law

Sub-Topic- Arbitration definition source kind scope and difference to court

Faculty- Sanjeev Kumar Nimesh

E-mail- sara2015nim@gmail.com

Arbitration definition source kind scope and difference to court

मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का एक रूप, अदालतों के बाहर विवादों को हल करने का एक तरीका है। विवाद एक या अधिक व्यक्तियों (मध्यस्थों, मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरण) द्वारा तय किया जाएगा, जो मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान करता है । एक मध्यस्थता पुरस्कार दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और अदालतों में लागू है।

मध्यस्थता का उपयोग अक्सर वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए किया जाता है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन के संदर्भ में। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों में, मध्यस्थता को अक्सर उपभोक्ता और रोजगार के मामलों में भी नियोजित किया जाता है, जहां रोजगार या वाणिज्यिक अनुबंध की शर्तों द्वारा मध्यस्थता को अनिवार्य किया जा सकता है और इसमें वर्ग कार्रवाई का दावा लाने के अधिकार की छूट शामिल हो सकती है। अनिवार्य उपभोक्ता और रोजगार मध्यस्थता को विशिष्ट मध्यस्थता, विशेष रूप से वाणिज्यिक मध्यस्थता से अलग किया जाना चाहिए।

मध्यस्थता या तो स्वैच्छिक या अनिवार्य हो सकती है (हालांकि अनिवार्य मध्यस्थता केवल एक क़ानून से या एक अनुबंध से हो सकती है जिसे एक पक्ष दूसरे पर लागू करता है, जिसमें पक्ष सभी मौजूदा या भविष्य के विवादों को मध्यस्थता में रखने के लिए सहमत होते हैं, बिना आवश्यक रूप से, विशेष रूप से जानने के बिना। क्या विवाद कभी भी होंगे) या तो बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी हो सकते हैं। गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता मध्यस्थता के समान है जिसमें पक्षों पर निर्णय नहीं लगाया जा सकता है।

हालांकि, मुख्य अंतर यह है कि जबकि एक मध्यस्थ पार्टियों को बीच का रास्ता खोजने में मदद करने की कोशिश करेगा, जिस पर समझौता करने के लिए, (गैर-बाध्यकारी) मध्यस्थ पूरी तरह से निपटान प्रक्रिया से हटा दिया जाता है और केवल दायित्व और दायित्व का निर्धारण करेगा, यदि उपयुक्त, देय क्षति की मात्रा का एक संकेत। एक परिभाषा के अनुसार मध्यस्थता बाध्यकारी है और गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता इसलिए तकनीकी रूप से मध्यस्थता नहीं है।

मध्यस्थता एक कार्यवाही है जिसमें एक विवाद को एक निष्पक्ष अधिनिर्णयकर्ता द्वारा हल किया जाता है, जिसके निर्णय पर विवाद करने वाले पक्ष सहमत हो गए हैं, या कानून ने फैसला किया है, अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा और अपील के सीमित अधिकार हैं।

पंचाट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. एक बार जब मनुष्य एक समुदाय के रूप में एक साथ रहना और व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पक्षपात उभरने लगते हैं।

2. मध्यस्थता की अवधारणा एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में क्यों उभरी?

3. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी को मध्यस्थता के इतिहास को देखना होगा।

भारत में हिंदू कानून के तहत

भारत में मध्यस्थता के शुरुआती विकास का पता बृहदारण्यक उपनिषद से लगाया जा सकता है । इसने विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ निकायों को प्रदान किया जिसमें तीन प्राथमिक निकाय शामिल थे:

1. स्थानीय अदालतें

2. एक ही व्यवसाय या पेशे में लगे लोग

3. पंचायतों।

• पंचायतों के सदस्य जिन्हें पंच के रूप में जाना जाता है, वे उस समय मध्यस्थ थे, जो एक प्रणाली के तहत विवादों से निपटते थे।

• हालाँकि इसके बाद ब्रिटिश भारत के लिए पहली विधान परिषद का गठन किया गया और भारत को पंचाट पर अपना पहला अधिनियमन मिला, जिसे Indian Arbitration Act, 1899 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह अधिनियम केवल राष्ट्रपति शासन वाले शहरों यानी कलकत्ता, बॉम्बे पर लागू था। और मद्रास। यह अधिनियम मूल रूप से ब्रिटिश मध्यस्थता अधिनियम, 1889 पर आधारित था।

• इसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 आया, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान सहित पूरे भारत में लागू हुआ। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद अध्यादेश के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।

• 1940 के अधिनियम में विभिन्न कमियों के कारण जैसे मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान किसी मध्यस्थ को किसी भी समय इस्तीफा देने से रोकने के प्रावधानों की कमी के कारण, एक उच्च न्यायालय से दूसरे के लिए अलग-अलग पुरस्कार प्रदान करने के नियम, अधिनियम को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कि 1940 अधिनियम में समस्याओं की पुष्टि की।

मध्यस्थता पार्टियों द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा बाध्यकारी स्वैच्छिक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। मोटे तौर पर इसे तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, पहला प्री-आर्बिट्रेशन चरण (उस समय से पहले जब विवाद उत्पन्न होता है), दूसरा मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान होता है और अंतिम मध्यस्थ पुरस्कार के पारित होने के बाद होता है।

'असाइनमेंट' शब्द को उसके सभी अधिकारों की पार्टी द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति, आमतौर पर अमूर्त संपत्ति जैसे पट्टे, बंधक, बिक्री के समझौते या साझेदारी में अधिकारों के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्यस्थता खंड / समझौता उस समझौते के संबंधित पक्षों को मध्यस्थता का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के अधिकार को किसी अन्य पार्टी को असाइनमेंट के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पोस्ट में लेखकों ने मध्यस्थता में असाइनमेंट के दायरे और ऐसे असाइनमेंट बनाने में आने वाले मुद्दों पर चर्चा की है।

मध्यस्थता में असाइनमेंट: एक अवलोकन

मध्यस्थता और पृथक्करण अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) के तहत परिकल्पना के अनुसार मध्यस्थता पृथक्करण सिद्धांत द्वारा एक अलग अनुबंध है। अनुबंध के असाइनमेंट के परिणामस्वरूप अधिकारों या दायित्वों के हस्तांतरण में से कोई भी परिणाम हो सकता है। नतीजतन, एक अनुबंध के तहत दायित्वों को वादे की सहमति के अलावा नहीं सौंपा जा सकता है और फिर यह एक दायित्व है जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों का प्रतिस्थापन होता है। दूसरी ओर, एक अनुबंध के तहत अधिकार तब तक असाइन किए जाते हैं जब तक कि कोई अनुबंध प्रकृति में व्यक्तिगत न हो या अधिकार असाइन किए जाने में असमर्थ हों। डीएलएफ पावर लिमिटेड बनाम मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एंड ऑर्म्स में इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है ।, 2016 SCC ऑनलाइन बम 5069। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्यस्थता खंड किसी पार्टी के अनुबंध के असाइनमेंट के अधिकार को छीन नहीं लेता है यदि यह अन्यथा असाइन किया जा सकता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि एक पक्ष द्वारा एक अनुबंध के तहत अधिकारों के असाइनमेंट के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जिसने इसके दायित्वों और दावे के असाइनमेंट का प्रदर्शन किया है। उत्तरार्द्ध एक मात्र दावा है जिसे कानून में नहीं सौंपा जा सकता है। इस मामले में आगे कहा गया कि एक बार जब दूसरे पक्ष ने कार्यभार स्वीकार कर लिया है और अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के पालन के लिए जोर दिया है, तो असाइनर के जूते में असाइनमेंट के चरण और सभी अधिकारों, दायित्वों और लाभों के हकदार होंगे। मध्यस्थता समझौता उक्त समझौते का हिस्सा है।

वैकल्पिक रूप से, पार्टियां स्पष्ट रूप से असाइनमेंट पर रोक लगा सकती हैं। अनुबंध के लाभ तब असाइन करने योग्य नहीं होते हैं। ऐसे मामले में, अनुबंध के एक पक्ष द्वारा एक निर्दिष्ट असाइनमेंट अन्य पार्टी के खिलाफ के रूप में अमान्य है, लेकिन यह असाइन करने वाले और असाइन करने वाले के बीच वैध और लागू करने योग्य है।

अनुबंध की शर्तें व्यक्त की जा सकती हैं, या निहित हो सकती हैं क्योंकि आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखना वैध है।

मध्यस्थता में असाइनमेंट की अवधारणा से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया जाना है कि क्या मध्यस्थता के विभिन्न चरणों के दौरान असाइनमेंट के लिए स्थिति समान रहती है (पूर्व-मध्यस्थता, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान और मध्यस्थ के पारित होने के बाद) पुरस्कार)।

पूर्व पंचाट

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम भारत स्पून पाइप कंपनी , AIR 1975 Cal 8 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मध्यस्थ पुरस्कार की स्थापना के लिए आवेदन का फैसला करते हुए, असाइनमेंट के दायरे पर चर्चा की और माना कि कानून में सही स्थिति प्रतीत होती है यह होना चाहिए कि अनुबंध असाइन करने योग्य है या नहीं यह अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक निजी वाचा की प्रकृति में एक अनुबंध सौंपा नहीं जा सकता। दूसरे, एक अनुबंध के तहत अधिकार सौंपे जा सकते हैं, लेकिन एक अनुबंध के तहत दायित्वों को कानूनन नहीं सौंपा जा सकता है। तीसरा, असाइनमेंट के बारे में इरादा अनुबंध में इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों और भाषा पर निर्भर करेगा। अंत में, प्रति से मध्यस्थता खंड का अस्तित्व न तो अनुबंध को गैर-जिम्मेदार या असाइन करने योग्य बनाता है।

कोटक महिंद्रा बैंक में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एस। नागभूषण एंड ऑर्स।, 2018 SCC ओनली डेल 6832, धारा 34 के तहत आवेदन का फैसला करते समय इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या मध्यस्थता समझौते का वैध काम था या नहीं। मध्यस्थ ने फैसला किया कि चूंकि दावेदार मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए मध्यस्थता के माध्यम से मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि उसके स्वभाव से ऋण समझौता उपलब्ध था। न्यायालय ने देखा कि एक बार ऋण समझौते के तहत अधिकार याचिकाकर्ता के पक्ष में सौंपे जाते हैं, मध्यस्थता समझौते के तहत अधिकार, केवल ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक उपाय की प्रकृति में, समान रूप से असाइन किए जाते हैं और विधिवत रूप से इसके पक्ष में असाइन किए गए हैं याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से। कोर्ट ने बेस्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड का अनुसरण किया । (2009) 161 डीएलटी 282 और आयोजित किया जाता है कि यदि कोई अनुबंध असाइन किया गया है, तो एक मध्यस्थता खंड अनुबंध के असाइनमेंट का पालन करेगा।

पाठ्यक्रम की कार्यवाही के दौरान

एग्री मार्केटिंग कं। वी। इंपीरियल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड , (2002) 2 बॉम्बे सीआर 646 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन आवेदन का फैसला करते हुए कहा कि मध्यस्थता के तहत अधिकार मध्यस्थता

कार्यवाही के बाद भी एक खंड के तहत सही है। शुरू हुआ और यह कि नए सिरे से काम शुरू करने की आवश्यकता के बिना असाइन करने वाले की कार्यवाही आसानी से हो सकती है। हालाँकि, अधिकार दो महत्वपूर्ण योग्यता के अधीन था:

मध्यस्थ को नोटिस उचित समय के भीतर दिया जाना चाहिए;

खण्ड का पूर्ण कार्य:

लेखन में।

दूसरी पार्टी (और मध्यस्थों) को नोटिस के साथ।

पासिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बाद

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 के आधार पर, एक तरफ सेटिंग के आवेदन के लिए अवधि समाप्त होने पर, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार डिक्री के रूप में एक मध्यस्थ पुरस्कार लागू किया जाएगा। एक अदालत की इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के डिक्री के कार्य से संबंधित प्रावधानों के अनुसार यह पुरस्कार प्रदान करने योग्य है।

Champerty और असाइनमेंट

अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए दावा, उल्लंघन के बाद, संपत्ति अधिनियम, 1882 के हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में एक 'कार्रवाई योग्य दावा' नहीं है, लेकिन धारा 6 (ई) के अर्थ के खिलाफ मुकदमा करने का एक मात्र अधिकार है उस अधिनियम का, और इसलिए इसे सौंपा नहीं जा सकता। संपत्ति के अधिकारों के लिए या आकस्मिक से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के अधिकारों को हस्तांतरित संपत्ति के साथ सौंपा जा सकता है। यदि असाइनमेंट में वास्तविक वाणिज्यिक या वित्तीय रुचि है तो असाइनमेंट लेने में नंगे अधिकार की कार्रवाई को भी बरकरार रखा जा सकता है; लेकिन तीसरे पक्ष को कार्रवाई के नंगे कारण की बिक्री की ओर एक कदम, जो दावों में कोई वास्तविक व्यावसायिक हित नहीं था, मुकदमेबाजी के रूप में शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें मुकदमेबाजी में तस्करी शामिल है।

प्रिवी काउंसिल ने आम तौर पर यह माना है कि इंग्लैंड में चम्पेरस समझौते शून्य हैं क्योंकि यह चम्पारण की विधि का उल्लंघन करता है। हालाँकि, यह भी माना गया कि यह सिद्धांत भारत में अनुपयुक्त है। न्यायालयों ने सतर्कता के साथ चर्मकार समझौतों को देखा है क्योंकि वे देश की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय अदालतों ने किसी भी स्थिति का सामना नहीं किया है, जहां इस मुद्दे में मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए किसी भी पार्टी के साथ धन व्यवस्था शामिल थी।

पंचाट क्या है?

मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद का एक रूप है (ADR)

• मध्यस्थता की अवधारणा का अर्थ है सिविल कोर्ट के कामकाज से जुड़ी प्रक्रियात्मक तकनीकी में शामिल हुए बिना समय के शुरुआती समय में पक्षों के बीच विवादों का समाधान।

• पंचाट का शब्दकोष, पक्षों द्वारा चुने गए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पक्षों के बीच विवाद को सुनने और निर्धारित करने के लिए है।

• Collins v। Collins, 1858 28 LJ Ch 184: 53 ER 916 नाम के एक अंग्रेजी फैसले में अदालत ने मध्यस्थता की अवधारणा को एक व्यापक परिभाषा दी, जो इस प्रकार है:

एक मध्यस्थता एक या एक से अधिक व्यक्तियों के निर्णयों का संदर्भ है। या अंपायर के बिना, पार्टियों के बीच अंतर में एक विशेष मामला। अदालत ने आगे कहा कि विवाद के समाधान के लिए कार्यवाही की जाती है, जिसमें विवाद के पक्षकारों के अधिकारियों की मुलाकात एक तटस्थ सलाहकार की मौजूदगी में होती है और दोनों पक्षों को सुनने और विवाद के तथ्यों और गुणों पर विचार करने का प्रयास किया जाता है। स्वैच्छिक बंदोबस्त।

आर्बिट्रेशन के प्रकार

मध्यस्थता में एक विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है और नियमित दीवानी अदालत या अन्य को नहीं। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विवाद पर निर्णय देना चाहिए और यह निर्णय विवाद में पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है क्योंकि उनके पास अपील करने के लिए कोई आधार नहीं है।

जब न्यायिक कार्यवाही के पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ विपरीत होता है जो आमतौर पर एक अदालत में होता है; और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और जो आमतौर पर एक पार्टी या दोनों पक्षों को आर्थिक रूप सेमाप्त कर देता है। एक मध्यस्थता कार्यवाही औपचारिक नहीं है और इसमें न्यायिक कार्यवाही शामिल नहीं है जो पार्टियों के लिए बहुत समय बचा सकती है।

क्षेत्राधिकार के आधार पर भारत में कुछ प्रकार के पंचाट

घरेलू मध्यस्थता

घरेलू मध्यस्थता उस प्रकार की मध्यस्थता है, जो भारत में होती है, जिसमें दोनों पक्षों को भारतीय होना चाहिए और संघर्ष का निर्णय भारत के मूल कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। शब्द „domestic मध्यस्थता को 1996 के पंचाट अभिनंदन अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि जब 1996 की धारा 2 (2) (7) को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह निहित है कि एकवेदकीय मध्यस्थता, का अर्थ है एक मध्यस्थता जिसमें भारत में आवश्यक कार्यवाहियों को आयोजित किया जाना चाहिए, और भारतीय मूलनिवासी और विधि के अनुसार, और विवाद के लिए कार्रवाई का कारण भारत में पूरी तरह से उत्पन्न हो गया है, इस घटना के लिए कि पार्टियां भारतीय के अधीन हैं अधिकार - क्षेत्र।

अंतर्राष्ट्रीय पंचाट

जब भारत के भीतर या भारत के बाहर मध्यस्थता होती है जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो मूल रूप से पार्टियों या विवाद के विषय के संबंध में विदेशी होते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कहा जाता है। लागू कानून भारतीय या विदेशी हो सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के बीच इस संबंध में अनुबंध के आधार पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की परिभाषा को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है कि विवाद के किसी भी पक्ष को भारत के बाहर अधिवासित किया जाए या यदि विवाद का विषय विदेश में है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पंचाट को सुलगने के लिए कई ज्वलंत प्रश्नों के प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नानीपल्खीवाला ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 1987 की होंडा कार है, जो आपको अधिक गति, उच्च दक्षता और नाटकीय रूप से कम ईंधन की खपत के साथ एक ही गंतव्य पर ले जाएगी [ii] अंतर्राष्ट्रीय विवाद को वाणिज्यिक से माना जाता है यदि विवादों से संबंधित है। उनके संविदात्मक स्वभाव के बावजूद कानूनी रिश्तों और भारत में कानून के तहत वाणिज्यिक के रूप में माना जाता है और जहां पार्टियों में से कम से कम एक है-

1. भारत का, या भारत के अलावा किसी अन्य देश का निवासी, या अभ्यस्त

2. एक निकाय कॉर्पोरेट जिसे किसी भी विदेशी देश में शामिल किया जाना है, या

3. एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय जिसका मूल प्रबंधन और नियंत्रण किसी ऐसे देश में है जो भारत या नहीं है

4. एक देश दूसरे देश की सरकार। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पंचाट में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद के पदार्थ के रूप में पार्टियों द्वारा चुने गए कानून के नियमों के अनुसार संघर्ष का फैसला करने के लिए बाध्य है; किसी भी देश के कानून या कानूनी प्रणाली के दलों द्वारा किसी भी पदनाम की व्याख्या की जा सकती है, जब तक कि इसे अन्यथा व्यक्त नहीं किया जाता है, जो कि सीधे उस देश के मूल कानून को संदर्भित करता है और कानूनों के नियमों के अपने संघर्ष का उल्लेख नहीं करता है।

<u>प्रक्रिया और नियमों के आधार पर भारत में मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त मध्यस्थता के प्रकार:</u>

1. संस्थागत मध्यस्थता

2. तदर्थ मध्यस्थता

3. फास्ट ट्रैक मध्यस्थता

<u>संस्थागत मध्यस्थता</u>

जब कोई मध्यस्थ संस्था मध्यस्थता करता है, तो उसे संस्थागत मध्यस्थता कहा जाता है। पार्टियों के पास मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट करने के लिए, चुने हुए मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार निर्धारित मतभेदों को संदर्भित करने का विकल्प है। एक या अधिक मध्यस्थों को संस्था के शासी निकाय द्वारा पूर्व-चयनित पैनल से नियुक्त किया जा सकता है या विवादकर्ता स्वयं अपने पैनल का चयन कर सकते हैं लेकिन इसे सीमित पैनल तक सीमित रखना होगा। पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 में यह प्रावधान है कि भाग 1 में जहां धारा 28 को छोड़कर, पार्टियां एक निश्चित मुद्दे को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, कि स्वतंत्रता में अधिकार है कि पार्टियों को किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना है, उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए।अधिनियम यह भी स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि भाग ।इस तथ्य से सहमत है कि पक्ष सहमत हो गए हैं या वे सहमत हो सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से पार्टियों के एक समझौते को संदर्भित करते हैं, उस समझौते में निर्दिष्ट कोई मध्यस्थता नियम शामिल होंगे वह समझौता।

<u>तदर्थ मध्यस्थता</u>

यदि पक्षकार आपस में सहमत होते हैं और मध्यस्थता की व्यवस्था करते हैं, तो इसे संस्थागत कार्यवाही न करके तदर्थ पंचाट कहा जाता है। यह या तो घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी मध्यस्थता हो सकती है। मध्यस्थता पर रसेल

का कहना है कि, एड हॉक आर्बिट्रेशन या एड हॉक सबमिशन में अभिव्यक्ति एड हॉक का उपयोग दो अलग-अलग इंद्रियों में किया जाता है: मौजूदा विवाद का उल्लेख करने के लिए एक समझौता, और / या भविष्य या मौजूदा विवादों को मध्यस्थता में संदर्भित करने के लिए एक समझौता। मध्यस्थता संस्था के बिना कार्यवाही की निगरानी के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है, या कम से कम मध्यस्थता के लिए प्रक्रियात्मक नियमों की आपूर्ति करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में यह दूसरा अर्थ अधिक सामान्य है।

एड हॉक आर्बिट्रेशन का मतलब है कि मध्यस्थता एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार नहीं होनी चाहिए। चूंकि, पार्टियों के पास एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के लिए अपनी मध्यस्थता प्रस्तुत करने का दायित्व नहीं है; वे प्रक्रिया के अपने नियमों को बताने के लिए स्वतंत्र हैं। तदर्थ पंचाट का भौगोलिक न्यायिक सार है, क्योंकि मध्यस्थता से संबंधित अधिकांश मुद्दों को मध्यस्थता की सीट के राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाएगा।

<u>फास्ट ट्रैक मध्यस्थता</u>

यहां तक कि मध्यस्थता की अन्य प्रक्रियाएं लंबी और थकाऊ हो सकती हैं और इस प्रकार मध्यस्थता की यह प्रक्रिया समय के मुद्दे पर एक उपाय की तरह काम करती है। फास्ट ट्रैक मध्यस्थता एक विधि है, जो समय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान पर निर्भर है। इसकी प्रक्रिया इस तरह से स्थापित की जाती है कि इसने सभी तरीकों को छोड़ दिया है, जो समय का उपभोग करता है, और सादगी को बनाए रखता है जो मूल रूप से इस तरह के मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य है।

<u>पंचाट के प्रमुख लक्षण</u>

- मध्यस्थता रूढ़िवादी है:

एक मध्यस्थ कार्यवाही केवल तभी हो सकती है जब दोनों पक्ष विवाद के लिए सहमत हो गए हों। आम तौर पर, अनुबंध संबंधी दायित्वों के गैर-प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के विवादों के लिए पार्टियां अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड डालती हैं। पहले से ही विद्यमान विवाद को भी मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है यदि विवाद के दोनों पक्ष इसके लिए सहमत होते हैं (समझौता करार)।

- पार्टियां आर्बिट्रेटर चुनें:

भारतीय पंचाट अधिनियम के तहत पार्टियों को अपने मध्यस्थ का चयन करने की अनुमति है और वे एक एकल मध्यस्थ का चयन भी कर सकते हैं जो अंपायर के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, पार्टियों को हमेशा विषम संख्या में मध्यस्थ का चयन करना चाहिए।

- मध्यस्थता तटस्थ है:

मध्यस्थों के रूप में तटस्थ व्यक्तियों का चयन करने के अलावा, पार्टियां कार्यवाही के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को चुन सकती हैं जैसे कानून लागू, जिस भाषा में कार्यवाही आयोजित की जानी चाहिए, मध्यस्थता कार्यवाही के लिए स्थान। ये सभी चीजें यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी पक्ष को घरेलू अदालत का लाभ नहीं मिले।

- पंचाट का निर्णय अंतिम और लागू करने के लिए आसान है।

<u>भारत में मध्यस्थता के लाभ</u>

1. तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता: एक मध्यस्थ आसानी से तकनीकी मामलों से निपट सकता है जो प्रकृति में वैज्ञानिक है क्योंकि आमतौर पर मध्यस्थों को किसी विशेष क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और कौशल के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार विवादों को अधिक प्रभावी और कुशलता से हल किया जाता है।

2. मध्यस्थता प्रक्रिया कानून की अदालत में विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके की तुलना में लागत प्रभावी और कम समय है।

3. पार्टियों की सुविधा है क्योंकि वे कार्यवाही की भाषा, स्थान और समय के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं।

4. पार्टियों की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखी जाती है क्योंकि विवाद का कोई अनावश्यक प्रचार नहीं है।

5. आर्बिट्रल कार्यवाही अदालत की कार्यवाही की तुलना में अधिक लचीली है क्योंकि मध्यस्थ कार्यवाही के तहत अदालत के सख्त और कठोर नियमों और विनियमन का पालन नहीं करना पड़ता है। यह इस कारण से है कि पार्टियां कार्यवाही के नियमों और विनियमों को निर्धारित करती हैं।

<u>मध्यस्थता और मुकदमेबाजी के बीच अंतर</u>

मुकदमेबाजी एक प्राचीन प्रक्रिया है जिसमें एक न्यायाधीश या जूरी के साथ एक अदालत के माध्यम से मुद्दों का निर्धारण करना शामिल है। न्यायालय का प्रकार क्षेत्राधिकार के आधार पर विवाद के प्रकार से तय होता है । अधिकांश नागरिक मामलों में, क्षेत्राधिकार उस मुकदमे पर आधारित होता है जहाँ मुकदमा की उत्पत्ति हुई थी।

दूसरी ओर, मध्यस्थता में एक विवाद में दो पक्ष शामिल होते हैं जो विवाद को हल करने के प्रयास में एक असंतुष्ट तीसरे पक्ष के साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं। मध्यस्थता में, एक या अधिक मध्यस्थ हो सकते हैं जो मुद्दे के दोनों पक्षों को सुनते हैं और जो निर्णय लेते हैं। क्षेत्राधिकार एक मुद्दा नहीं है, हालांकि विशेषज्ञता के आधार पर मध्यस्थता को चुना जाता है। [1]

यहां मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के बीच कुछ अंतर हैं:

सार्वजनिक / निजी, औपचारिकता
दोनों पक्षों और अनौपचारिक के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया निजी है, जबकि मुकदमेबाजी एक सार्वजनिक अदालत में आयोजित एक औपचारिक प्रक्रिया है।

प्रक्रिया
की **गति** मध्यस्थता प्रक्रिया काफी तेज है। एक बार एक मध्यस्थ का चयन होने पर, मामले की तुरंत सुनवाई की जा सकती है। नागरिक मुकदमेबाजी में, दूसरी ओर, एक मामले में इंतजार करना चाहिए जब तक कि अदालत के पास इसे सुनने का समय न हो; इसका मतलब यह हो सकता है कि मामले की सुनवाई के कई साल पहले भी।

आर्बिट्रेटर / जज का चयन

मुकदमेबाजी में, न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, और चयन में पार्टियों का बहुत कम या कोई भी कहना नहीं है। पक्षकारों को कुछ कहना हो सकता है कि किसी मामले की सुनवाई न्यायाधीश या ज्यूरी द्वारा की जाती है।

मध्यस्थता में, दोनों पक्ष आमतौर पर एक मध्यस्थ पर एक साथ निर्णय लेते हैं, जब तक कि अनुबंध के मध्यस्थता खंड में निर्णय निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

प्रक्रिया
की लागत मध्यस्थता प्रक्रिया की लागत मध्यस्थ के शुल्क (दावे के आकार, मध्यस्थ की विशेषज्ञता और खर्चों के आधार पर) और वकील की फीस तक सीमित होती है। मध्यस्थता के लिए आपको स्थान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

मुकदमेबाजी की लागत में अटॉर्नी फीस, **जमाओं** और पूछताछ के लिए पूर्व-परीक्षण लागत , रिकॉर्ड खोज और अदालत की लागत शामिल हैं, जो बहुत अधिक हो सकती हैं।

अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट से पता चला है कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में संकल्प समय को अमेरिकी जिला न्यायालयों की तुलना में मध्यस्थता के साथ कम समय में हल किया गया था।

वकीलों का उपयोग

अटार्नी एक मध्यस्थता में पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका सीमित है; में **सिविल मुकदमेबाजी** (दूसरे के विरुद्ध एक व्यक्ति), वकीलों ज्यादा समय सभा सबूत खर्च करते हैं, गतियों रही है, और उनके मामलों पेश।

यह आपके ऊपर है कि क्या आपको लगता है कि आपको मध्यस्थता के लिए एक वकील की आवश्यकता है, और यह स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी स्वयं की मध्यस्थता को संभालते हैं तो इसे "समर्थक से," अर्थ "अपने आप से" कहा जाता है। अमेरिकी पंचाट संघ का कहना है:

जबकि पार्टियों को मध्यस्थता में भाग लेने के लिए एक वकील की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थता एक अंतिम, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया है जो पार्टी के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। जैसे, पार्टियां एक वकील से परामर्श करने पर विचार कर सकती हैं।

साक्ष्य की अनुमति

एक अदालत के मामले में, अदालत को सबूत के संघीय नियमों का पालन करना चाहिए। मध्यस्थता प्रक्रिया में एक सीमित साक्ष्य प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि साक्ष्य के संघीय नियम लागू नहीं होते हैं, और मध्यस्थ तय करता है कि क्या साक्ष्य की अनुमति है।

अंतिम परिणाम और अपील की उपलब्धता

एक मुकदमे में न्यायाधीश की राय को आमतौर पर बाध्यकारी माना जाता है; यानी दोनों पक्षों को इसका पालन करना चाहिए। मुकदमेबाजी विभिन्न स्तरों पर कई अपीलों की अनुमति देती है।

एक मध्यस्थ का निर्णय बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी हो सकता है, जो अनुबंध की भाषा या स्थिति पर निर्भर करता है। बाध्यकारी मध्यस्थता में, पार्टियों के पास आमतौर पर कोई अपील विकल्प नहीं होता है, जब तक कि अपील को एक मध्यस्थता खंड में शामिल नहीं किया जाता है । कुछ मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा एक न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और निर्णय को खाली (हटाया) किया जा सकता है यदि आप यह साबित कर सकते हैं कि मध्यस्थ पक्षपाती था।

मध्यस्थता बनाम मुकदमेबाजी: तुलना चार्ट

सार्वजनिक निजी	**पंचाट**	**मुकदमेबाज़ी**
आगे बढ़ने का प्रकार	निजी - दो पक्षों के बीच	जनता - एक कठघरे में
आगे बढ़ने का प्रकार	सिविल - निजी	दीवानी और अपराधी
साक्ष्य की अनुमति दी	सीमित साक्ष्य प्रक्रिया	साक्ष्य के नियमों की अनुमति दी
कैसे मध्यस्थ / न्यायाधीश का चयन किया	पार्टियां आर्बिट्रेटर का चयन करती हैं	कोर्ट जज नियुक्त करता है - पार्टियों के पास सीमित इनपुट है
औपचारिकता	अनौपचारिक	औपचारिक
अपील उपलब्ध है	आमतौर पर बाध्यकारी; कोई अपील संभव नहीं	अपील संभव है
वकीलों का उपयोग	पार्टियों के विवेक पर; सीमित	वकीलों का व्यापक उपयोग
मामले की सुनवाई के लिए समय का इंतजार किया जा रहा है	जैसे ही मध्यस्थ का चयन किया जाता है; कम	मामला निर्धारित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए; लंबा

लागत	मध्यस्थ, वकीलों के लिए शुल्क	अदालत की लागत, वकील की फीस; महंगा

अनिवार्य मध्यस्थता

अधिकांश अनुबंध मानते हैं कि मुकदमेबाजी प्रक्रिया में किसी भी असहमति से निपटा जाएगा। अनुबंध उस क्षेत्राधिकार को सूचीबद्ध करेगा जिसमें मामले की सुनवाई होनी है।

21 वीं सदी में कई अनुबंधों में एक अनिवार्य मध्यस्थता खंड है , जिसमें कहा गया है कि सभी विवादों को मध्यस्थता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश अनुबंधों में, मुकदमेबाजी को विशेष रूप से एक संभावना के रूप में खारिज किया जाता है। रियल एस्टेट (मकान मालिक / किरायेदार) अनुबंधों और रोजगार अनुबंधों में मध्यस्थता खंड सामान्य हैं ।

कुछ अनुबंध जिनमें अनिवार्य मध्यस्थता शामिल है, एक वर्ग कार्रवाई मुकदमा बनाने के अधिकार से इनकार करने वाला प्रावधान भी शामिल है ।

निष्कर्ष

मध्यस्थता में असाइनमेंट की अवधारणा संविदात्मक अधिकारों के हस्तांतरण के सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी चरण के दौरान असाइनमेंट किया जा सकता है और यह मध्यस्थता में शामिल दलों के लिए फायदेमंद है। असाइनमेंट विभिन्न तरीकों से फायदेमंद हो सकता है। विवाद से पहले अगर कुछ अधिग्रहण होता है या पार्टी परियोजना में आगे निवेश नहीं करना चाहती है तो वह संविदात्मक अधिकार (अन्य दलों को मध्यस्थ करने का अधिकार सहित) सौंप सकती है। कार्यवाही के दौरान, तनावग्रस्त कंपनियां जिनके पास कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है, लेकिन लंबित मध्यस्थता दावे उनके दावे को उस पार्टी को सौंप सकते हैं जिनके पास ऋण है। हालांकि, यह सब संबंधित पक्षों के समझौते पर निर्भर करेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय अदालतों ने दावा किया है कि दावे के असाइनमेंट की अनुमति नहीं है। हालांकि, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान असाइनमेंट की अनुमति दी गई है। यह विरोधाभासी है, क्योंकि लंबित मध्यस्थता कार्यवाही को केवल एक दावा माना जाएगा। अदालतों या विधायिका को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

इसलिए, भारतीय न्यायालयों ने विचार किया हो सकता है कि मध्यस्थता में असाइनमेंट अनुमन्य है। हालांकि, इसके दायरे को स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में भी शामिल किया

जाना चाहिए, ताकि अनसुने मुद्दों को सुलझाया जा सके और असाइनमेंट एक पार्टी के हाथ में एक वैध दावा हो। इस तरह की वैधानिक मान्यता देश के मध्यस्थ शासन में निश्चितता का परिचय देगी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक केंद्र बनने में मदद करेगी।

References

- Boskey, James B. (1993) *The American Arbitration Association Insurance ADR Manual* West Pub. Co.

International arbitration

- Blackaby, Nigel; Lindsey, David; Spinillo, Alessandro (2003) *International Arbitration in Latin America* Kluwer
- Born, Gary (2009) *International Commercial Arbitration* Kluwer
- Buhring-Uhle, Christian and Kirchhof, Gabriele Lars (2006) *Arbitration and Mediation in International Business* 2nd Ed.
- Craig, W. Laurence; Park, William W.; Paulsson, January (2001) *International Chamber of Commerce Arbitration* Oxford University Press
- David, R. (1985) *Arbitration in International Trade*
- Dezalay, Yves and Garth, Bryant G. (1998) *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*
- Dugan, Christopher; Wallace, Jr., Don; Rubins, Noah (2005) *Investor-State Arbitration* Oxford University Press
- Lew, Julian; Mistelis, Loukas; Kroell, Stefan (2003) *Comparative International Commercial Arbitration*
- The Permanent Court of Arbitration (2000) *International Alternative Dispute Resolution: Past, Present and Future*
- PWC (2008) *International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices*
- Redfern, A. and Hunter, M. (2004) *Law and Practice of International Commercial Arbitration* 4th Ed.
- Schreuer, Christoph H. (2001) *The ICSID Convention: A Commentary* Cambridge University Press – (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
- Stuyt, Alexander, ed. *Survey of International Arbitrations: 1794–1970* (1990)
- Nuwan Weerasrkara Sri Lankan Arbitrator
- Varady, Tibor; Barcelo, John J.; Von Mehren, Arthur Taylor (2006) *International Commercial Arbitration* 3rd Ed